



**THE  
JHARKHAND GAZETTE  
EXTRAORDINARY  
PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**No. 675**

**28 Bhadra, 1938 (S)**

**Ranchi, Tuesday, 19<sup>th</sup> September, 2017**

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**NOTIFICATION**

**19<sup>th</sup> September, 2017**

**S.O. No.- 80 - Dated - 19<sup>th</sup> September, 2017--** In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37, first proviso to sub-section (2) of section 38 and sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supercession of notification S.O 76 dated 13 September, 2017, published in the Jharkhand Gazette, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, as specified in column (2) of the Table below for the month of July, 2017, for such class of taxable persons or registered persons, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table till the time period as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Details/return</b>	<b>Class of taxable/registered persons</b>	<b>Time period for furnishing of details/return</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GSTR-1	Having turnover of more than one hundred crore rupees	Upto 3 <sup>rd</sup> October, 2017
		Having turnover of upto one hundred crore rupees	Upto 10 <sup>th</sup> October, 2017
2.	GSTR-2	All	Upto 31 <sup>st</sup> October, 2017
3.	GSTR-3	All	Upto 10 <sup>th</sup> November, 2017

Explanation.- For the purposes of this notification, the expression “turnover” has the same meaning as assigned to it in clause (112) of section 2 of the aforesaid Act.

2. The extension of the time limit, for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (1) of section 37, sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the aforesaid Act, for the month of August, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
3. This notification shall be deemed to be effective from the 11<sup>th</sup> day of September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand

**K. K. Khandelwal,**  
Principal Secretary-cum Commissioner

## वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना

19 सितम्बर, 2017

एस० ओ०- 80, दिनांक 19 सितम्बर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित अधिसूचना सं० एस० ओ० 76 तारीख 13 सितंबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, जुलाई, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, कराधेय व्यक्तियों या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम सं०	ब्यौरे/विवरणी	कराधेय/रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्यौरे/विवरणी देने की समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जी.एस.टी.आर.-1	जिसका आवर्त एक अरब रुपए से अधिक है	3 अक्टूबर, 2017 तक
		जिसका आवर्त एक अरब रुपए तक है	10 अक्टूबर, 2017 तक
2.	जी.एस.टी.आर.-2	सभी	31 अक्टूबर, 2017 तक
3.	जी.एस.टी.आर.-3	सभी	10 नवंबर, 2017 तक

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "आवर्त" पद का वही अर्थ है, जो उसका पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (112) में है ।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।
3. यह अधिसूचना 11 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]  
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,  
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

-----